न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 40 / 2023

अनवान : –

1. चन्द्रमुखी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 22/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 94 / 88 की कुल 20.0820 हैक्ट भूमि में से 253 / 6694 हिस्सा भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायला ने विवादित भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 21.05.97 को खरीद की थी जिसमें सायला का नाम मुखी पत्नी राजेन्द्र कुमार दर्ज है लेकिन बैयनामा के आधार पर जो इंतकाल दर्ज हुआ उसमें मुर्ति पत्नी राजेन्द्र कुमार दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम चन्द्रमुखी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद दर्ज है जो की सही है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम व सकूनत गलत दर्ज होने से प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थीया अपने खातेदारी का सही उपयोग व उपभोग नही कर पा रही है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मुताबिक दस्तावेज सही दर्ज किया जावे।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीया के का नाम सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज र[illegible] किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की कि [illegible] दुरूस्ती बाबत विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:20:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सायला ने विवादित भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 21.05.97 को खरीद की थी जिसमें सायला का नाम मुखी पत्नी राजेन्द्र कुमार दर्ज है लेकिन बैयनामा के आधार पर जो इंतकाल दर्ज हुआ उसमें मुर्ति पत्नी राजेन्द्र कुमार दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम चन्द्रमुखी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद दर्ज है जो की सही है अतः मुताबिक दस्तोवेजों के प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 94/88 की कुल 20.0820 हैक्ट भूमि में से 253/6694 हिस्सा भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया अपना नाम मुर्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार के स्थार पर चन्द्रमुखी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद दर्ज करवाना चाहती है तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी प्रार्थीया नाम चन्द्रमुखी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद अंकित है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 94/88 की कुल 20.0820 हैक्ट भूमि में से 253/6694 हिस्सा भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया का नाम **मुर्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार के स्थान पर चन्द्रमुखी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के नाम मुर्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का मुर्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम मुर्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गंढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:20:31 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2024/527 दिनांक : 30/05/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 40/2023 अनवानी चन्द्रमुखी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 40/2023

अनवान : —

1. चन्द्रमुखी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।

—प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 94/88 की कुल 20.0820 हैक्ट भूमि में से 253/6694 हिस्सा भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया का नाम **मुर्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार के स्थान पर चन्द्रमुखी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के नाम मुर्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का मुर्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम मुर्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:20:31 IST
Reason: SelfAttested